

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5(ए) (1)/सीटीएडी/कृषि उ.म.कोटडा-लसाडिया/ 16-17/
अधिशायी अभियन्ता,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उदयपुर।

दिनांक 3/10/18
35224-35

विषय-गौण मंडी यार्ड लसाडिया की चारदिवारी निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
संदर्भ- आपका पत्रांक 3438 दिनांक 27.09.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 19616-24 दिनांक 06.06.2018 द्वारा चारदिवारी निर्माण कार्य की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निम्नलिखित कार्य की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-5 अनुसार राशि रु. 49.67लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

क्र.स.	कार्य का नाम	जिला	राशि (लाखों में)	
			तकनीकी स्वीकृति क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	गौण मंडी यार्ड लसाडिया प. स. लसाडिया की चारदिवारी निर्माण कार्य	उदयपुर	74 18.09.2018	49.67

उपरोक्त कार्य पर राशि की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. सं. 61/2016-17 दिनांक 16.02.2017 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 200.00 लाख रु. में से 180.00 लाख विभागीय पत्र क्रमांक 9173-74 दिनांक 03.04.2017 को हस्तान्तरित राशि में से 49.67 लाख उपयोग की जावेगी। कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावे जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्र. एफ-5(ए) (1)/सीटीएडी/कृषि उ.म.कोटडा-लसाडिया/ 16-17/ 35224-35 दिनांक : 8/10/18
 प्रतिलिपि-

1. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. श्री गौतमलाल मीणा, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र धरियावद ग्राम माता वेली, तहसील लसाडिया जिला उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. निर्देशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन उदयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन उदयपुर।
6. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) उदयपुर।
7. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
9. कम्प्युटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

आधुक्त
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
 उदयपुर

1. सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
 ई-मेल : comm.tad@gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in